ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या-०१, सैक्टर- नॉलेज पार्क -०४

ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर ।

पत्रांकः –ग्रे0नौ0 / संस्था. / 2020 /2129 दिनांकः– 09 जनवरी 2020

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 114वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 31.05.2019 के मद संख्या 114 / अनु0 26 में प्राधिकरण के अन्तर्गत संस्थागत क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के लिए भूमि आवॅटन करने हेतु ओपेन एण्डेड योजना हेतु मुख्य नियम एवं शर्तों की नीति निर्धारित की गई थी, उक्त विषय पर पुनः प्राधिकरण स्तर पर विचार–विमर्श किया गर्या, चुॅकि धार्मिक स्थल हेतु रिक्त भूखण्डों की संख्या अत्यन्त ही कम है, अतः ओपन ऐण्डेड योजना के माध्यम से आवॅटन न करने का निर्णय लेते हुए प्राधिकरण बोर्ड की 116वीं बैठक के मद संख्या 116 / अनु0 5 में तद्नुसार संशोधन किया गया हैः–

1. धार्मिक स्थलों का आवॅटन समय–समय पर भूखण्डों की रिक्तता के अनुसार प्रकाशन कराते हुये साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
2. धार्मिक स्थलों का प्राधिकरण द्वारा चिन्हीकरण के पश्चात जिलाधिकारी एंव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से उक्त स्थलों पर धार्मिक स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्त की जाऐगी तत्पश्चात स्थलों के प्रकाशन की कार्यवाही की जाऐगी।
3. धार्मिक स्थलों के आवॅटन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे तथा जिसमें सदस्य के रूप में जिलाधिकारी द्वारा नामित एक प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक प्रतिनिधि जो कमशः अपर जिलाधिकारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक स्तर से कम के नहीं होंगे, उक्त के अतिरिक्त महाप्रबन्धक (वित्त), महाप्रबन्धक (परियोजना),महाप्रबन्धक / नगर नियोजक (नियोजन) एवं उपमहाप्रबन्धक (संस्थागत), प्रभारी विधि सदस्य के रूप में होंगे।
4. धार्मिक स्थलों के आवॅटन हेतु आवेदकों का चयन आवॅटन समिति द्वारा प्रस्तुत पूर्ण आवेदनों के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा, साक्षात्कार के समय निम्न अर्हताओं पर आवेदकों के आवेदन का ऑकलन किया जाएगा।

- संस्था की समान्य ख्याति।
- सेक्टर में धार्मिक स्थल के आस–पास की जनसंख्या मिश्रण की स्थिति।
- संस्था द्वारा भूखण्ड की धनराशि एकमुश्त अथवा किश्तों में दिये जाने का प्रस्ताव।
- आवॅटित किये जाने वाले क्षेत्र में प्रस्तावित धार्मिक स्थल की उपयुक्तता।

5. धार्मिक स्थल के आवॅटन हेतु चयनित व्यक्ति / संस्था को जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सुसंगत नियमो के अन्तर्गत अधिकतम तीन माह में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, तत्पश्चात ही चयनित व्यक्ति / संस्था के पक्ष में अन्तिम रूप से आवॅटन पत्र प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया जाएगा। विशेष परिस्थियों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु 3 माह प्रदत्त की समय अवधि को बढाने का अधिकार होगा।
6. आवॅटन के पश्चात आवॅटी व्यक्ति / संस्था को लीज डीड निष्पादन के उपरान्त बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार अन्दर धार्मिक स्थल के निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा।

उपरोक्तानुसार आवॅटन के मुख्य बिन्दुओं के अनुमोदन के उपरान्त ग्रेटर नोएडा शहर के सेक्टरों जिनमें धार्मिक स्थल के भूखण्ड रिक्त है उन भूखण्डों का ऑनलाईन संस्थागत योजना के माध्यम से 01 जनवरी 2020 से साक्षात्कार के माध्यम से आवॅटित किया जाना है। रिक्त धार्मिक भूखण्डो के आवॅटन हेतु समय–समय पर रिक्तता के अनुसार प्रकाशन किया जाएगा।

9/1/20

(अनिल कुमार शर्मा)
उप महाप्रबन्धक (संस्थागत)

प्रतिलिपिः–1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी. / जी.) महोदय के अवलोकनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त), महाप्रबन्धक (परियोजना),महाप्रबन्धक / नगर नियोजक (नियोजन) प्रभारी विधि को सूचनार्थ

उप महाप्रबन्धक (संस्थागत)